

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या:—05 / 2020

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची में सहायक कुलसचिव (Assistant Registrar) के एकल अनारक्षित पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. **वेतनमान** :- 15,600–39,100 + ग्रेड पे– 5,400 (अपुनरीक्षित)
2. **अर्हता एवं अनुभव**:-**Qualifications:** Good academic- record plus Master's degree with at least 55% marks or equivalent grade of B in the UGC seven point scale.
Experience: Five years of supervisory experience. The experience should be in establishment/legal matters in a Government/ Semi Government/ Public Sector/ Autonomous organizations/ University/ Educational Institutions of Higher Learning and having a good working Knowledge of general administration and rules and regulations relating to University.

3. **PERCENTAGE EQUIVALENCE OF GRADE POINTS FOR A SEVEN POINTS SCALE:-**

It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare results in grade points which is on a scale of seven, the following mechanism shall be referred to ascertain equivalent marks in percentage:-

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
'O' - Outstanding	5.50-6.00	75-100
'A' - Very Good	4.50-5.49	65-74
'B' - Good	3.50-4.49	55-64
'C' - Average	2.50-3.49	45-54
'D' - Below Average	1.50-2.49	35-44
'E' - Poor	0.50-1.49	25-34
'F' - Fail	0-0.49	0-24

4. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया**:- साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु चयन किया जायेगा। यदि रिक्ति के विरुद्ध आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में The Jharkhand Public Service Commission Rules of Procedure, 2002 के chapter-IV की कंडिका-5(3), 5(7) एवं 5(8) के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

5. उम्र एवं अनुभव गणना की तिथि:-

- (i) साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों के उम्र गणना की तिथि-01.08.2020 होगी एवं अनुभव गणना की तिथि ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि होगी।
- (ii) सहायक कुलसचिव पद के अभ्यर्थियों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

6. विज्ञापित पद अनारक्षित है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी अनारक्षित पद के विरुद्ध आवेदन दे सकते हैं परन्तु उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

7. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
- (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
- (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
- (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :- ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

8. **परीक्षा शुल्क:**— परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (i) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (ii) **परीक्षा शुल्क में छूट**— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/—(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (iii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

नोट:— अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

9. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-**

- (a) आवेदन पत्र निम्नलिखित दो(02) प्रक्रिया को पूरा करने पर ही पूर्ण माना जायेगा :-
- (i) ऑनलाईन आवेदन करना।
- (ii) मुद्रित ऑनलाईन आवेदन विज्ञापन की कंडिका-9(0) के अनुरूप प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ सहित समर्पित करना।
- (b) ऑनलाईन आवेदन Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से भरना होगा।
- (c) ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदालोक में समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन (Spelling एवं typing mistake को छोड़) का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- (d) ऑनलाइन (Online) आवेदन भरने के पूर्व **“How to apply”** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No.— +919431301419** पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (e) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के **Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (f) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No.— +919431301636** संपर्क किया जा सकता है।
- (g) ऑनलाइन आवेदन में वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**
- (h) हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही ऑनलाइन आवेदन भरा होना चाहिए।
- (i) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही भरेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।
- (j) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही ऑनलाइन आवेदन में यथा निर्धारित स्थान पर भरेंगे।
- (k) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (l) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

- (m) परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।
- (n) आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (o) ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी आवश्यक एवं संबंधित निम्न प्रमाण पत्रों की दो (02) स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ (दो set में) ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ संलग्न कर आवेदन पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा :-
- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
- (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
- (iii) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iv) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (v) अनुभव प्रमाण पत्र।
- (vi) जाति प्रमाण पत्र (परीक्षा शुल्क में छूट हेतु)।
- (vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (परीक्षा शुल्क में छूट हेतु)।
- (viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (p) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम अनिवार्य रूप से अंकित करें।
- (q) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-(o) के अनुरूप सभी आवश्यक एवं संबंधित प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से दिनांक:- 11.12.2020 से 28.12.2020 अपराह्न 05:00 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक:- 28.12.2020 के बाद दिनांक:- 29.12.2020 रात्रि 11:45 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति सभी आवश्यक एवं संबंधित प्रमाण पत्रों सहित केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्य अवधि में) से इस प्रकार भेजे कि दिनांक-11.01.2021 अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

दिनांक-11/12/2020

ज्ञापांक:-2/परी0-जे0पी0एस0सी0-15/2020 3662

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन के अनुरूप आयोग के वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा उपर्युक्त विज्ञापन एवं निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।